न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः– वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
42 / 2025	09.06.2025	29.04.2026

छोटूलाल पुत्र किशन्या उर्फ किशनलाल जाति गुर्जर निवासी सुखवारा तहसील खण्डार जिला स0मा0।

प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार तहसील खण्डार।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

श्री धर्मेन्द्र चौधरी, अन्जनी कुमार तेहरिया प्रार्थी की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेंश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

- प्रार्थी ग्राम सुखवास का गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है।
- प्रार्थी के पिता किशन्या की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि आराजीयात खसरानम्बर 61 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 67 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरानम्बर 200 / 2 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 207/ 59 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 209/ 114 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 222/142 रकबा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 224/143 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 07 कुल रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा हि०3/5 व खसरा नम्बर 56 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 63 रकबा 1 बीघा 07बिस्वा, खसरा नम्बर 78 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 145 रकबा 03 बीघा06 बिस्वा, खसरा नम्बर 147 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा, कुल किता 05 कुल रकबा 10बीघा 07 बिस्वा में हि० 2/10 तथा खसरा नम्बर 125/1 रकबा 02 बीघा, वांके ग्रामसुखवास मे तथा खसरा नम्बर 39 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 40 रकबा01 बीघा 09 बिस्वा, वाके ग्राम अल्लापुर तहसील खण्डार मे स्थित है।

2. प्रार्थी के पिता किशन्या की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजीयात प्रार्थी के पिताकिशन्या के हिस्से की आराजीयात का विरासत का नामान्तरकरण खोला गया। उक्तनामान्तरकरण मृतक किशन्या के पांच पुत्र लक्ष्मीनारायण, धनराज, रामेत, जगदीश,हरिमोहन के नाम भरकर खोला गया। उक्त नामान्तरकरण मे छोटूलाल की जगह रामेत/रामहेत हो गया तथा वहीं जमाबन्दी मे अंकन हो गया।

- प्रार्थी अपने हिस्से मे आयी जमीन पर काबिज [illegible] काश्त करता चला आरहा है।
- प्रार्थी कई दिनों से अपना [illegible] छोटूलाल का अंकनकरवाने के लिए रेवेन्यू अधिकारियों के [illegible] उन्होने रेवेन्यू रिकार्ड मे प्रार्थीका नाम शुद्धिकरण कर अंकन नही किया। उसके उ[illegible]त प्रार्थी ने एक प्रार्थ[illegible] तहसीलदार खण्डार के समक्ष पेश किया लेकिन आज तक शुद्धिकरण का अंकन नही किया और कहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:18:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (रा० मा०)

कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय खण्डार के समक्ष वाद दायरकरने पर ही आपके नाम का शुद्धिकरण होगा। जबकि छोटूलाल आवेदक का सही नामहै । रामेत/रामहेत व छोटूलाल दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। छोटूलाल के स्कूली दस्तावेज मार्कशीट आधार कार्ड राशन कार्ड जनआधार कार्ड मूल निवासी प्रमाण पत्र बैंक खाता मे छोटूलाल ही दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड मे रामेत / रामहेत दर्ज है।नाम की भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को राजकीय योजनाओं का लाभ नही मिल पारहा है। प्रार्थी ने नकल हल्का पटवारी से दिनांक 10.01.2025 को प्राप्त कर उक्त प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद अदालत हाजा में श्रीमानजी के समक्ष पेश करना लाजमी आया।

- प्रार्थी का नाम रेवेन्यू रिकार्ड मे टेकनिकल मिस्टेक की वजह से छोटूलाल कीजगह रामेत/रामहेत दर्ज हो गया है। जिसे दुरूस्त किया जाकर धारा 136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थी का नाम छोटूलाल का अंकन रेवेन्यू रिकार्ड में किया जानान्यायोचित है।
- प्रार्थना पत्र को सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है।
- प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश है ।

अतः प्रार्थना पत्र मयशपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन हैप्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के हिस्सेकी भूमि आराजी भूमि आराजीयात खसरा नम्बर 61 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, खसरानम्बर 67 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा खसरा नम्बर 200/2 रकबा 02 बिस्वा, खसरानम्बर 207/59 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 209/114 रकबा 10 बिस्वा, खसरानम्बर 222/142 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 224 / 143 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वाकुल किता 07 कुल रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा हि0 3/5 व खसरा नम्बर 56 रकबा 1बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 63 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 78 रकबा 01बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 145 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 147 रकबा02 बीघा 09 बिस्वा, कुल किता 05 कुल रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा में हि0 2/10 तथाखसरा नम्बर 125/1 रकबा 02 बीघा, वांके ग्राम सुखवास मे तथा खसरा नम्बर 39रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 40 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, वाके ग्रामअल्लापुर तहसील खण्डार मे स्थित है। उक्त आराजीयात के रेवेन्यू रिकार्ड मे रामेत/रामहेत की जगह छोटूलाल दुरूस्त किया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड मे अंकनकरवाने की कृपा करें ।

3. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया।
4. अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जाचं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित किया गया है कि मुताबिक रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बत् 2077–80 ग्राम सुखवास में खातेदार रामहेत पुत्र किशनलाल खाता संख्या 79, 83, 87 में दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम अल्लापुर की जमाबन्दी के खाता संख्या 168में रामहेत पुत्र किशनलाल गुर्जर दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक जांच रिपोर्ट के प्रार्थी का नाम ग्राम में छोटूलाल पुत्र किशनलाल व रामहेत पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर क[illegible] नाम एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में अलावा अन्य कागजातो [illegible] पुत्र किशनलाल गुर्जर अंकित है।
5. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई [illegible] रिकार्ड का अवलोकन किया गया, बहस वकील प्रार्थी का [illegible] पत्रावली में संलग्न मौजूदा दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की आराजी ख[illegible]रा नम्बर 61, 67, 200/2, 207/59, 209/114, 222/142, 224/143 कुल किता 07 कुल रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा हि0

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
खण्डार (स० मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:18:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

3/5 व खसरा नम्बर 56, 63, 78, 145, 147 कुल किता 05 कुल रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा में हि0 2/10 तथा खसरा नम्बर 125/1 वांके ग्राम सुखवास मे तथा खसरा नम्बर 39, 40 वाके ग्राम अल्लापुर तहसील खण्डार मे रामेत/रामहेत की जगह छोटूलाल दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि विवादित आराजी प्रार्थी को पिता की मृत्यु उपरान्त विरासत से प्राप्त हुई है एवं नामान्तकरण दर्ज करते समय छोटूलाल की जगह रामेत/रामहेत दर्ज किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 466 दिनांक 13.08.1991 की छायाप्रति अनुसार खसरा नम्बर 39, 40 वाके ग्राम अल्लापुर में रामहेत पुत्र किशनलाल के नाम भूमि विकय पत्र के आधार पर दर्ज हुई है। उक्त भूमि विरासत से प्राप्त नहीं होना सिद्ध होता है। इस प्रकार खातेदार का वास्तविक नाम रामहेत प्रतीत होता है एवं प्रकरण में लिपिकीय त्रुटि सिद्ध नहीं होती है। यदि प्रार्थी ने विधिवत रूप से नाम परिवर्तन रामहेत से छोटूलाल किया है तो उसका कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया। इस प्रकार धारा 136 के तहत लिपिकीय त्रुटि का प्रकरण सिद्ध नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी का भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया ,सुनाया गया ।

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:18:57 IST
Reason: SelfAttested